

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुभाष चन्द यादव पुत्र आज्ञा प्रसाद निरो ग्राम सबरापुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 शीशी देशी शराब बरामद कर मु030सं0-77 / 22, 02. रामलौटन पुत्र झिनकान निरो बनकटवा बाजार थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-78 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विष्णु गोस्वामी पुत्र जटाशंकर गोस्वामी निरो ग्राम करुवा नचनी थाना कोरो करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-210 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नन्दकिशोर सोनकर उर्फ बाबू पुत्र राजाराम निरो पक्के जोकाही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-210 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अमरीश पुत्र फकीरे सोनकर निरो ग्राम विरमापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-113 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना कोरो देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. हौसिला प्रसाद पुत्र राम आसरे निरो कर्मपाठक थाना कोरो देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 01 किलो यूरिया व 600 ग्राम नौसादर बरामद कर मु030सं0-211 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

06. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भोला चौहान पुत्र बाढू चौहान निरो ऐली माझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-94 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 किलो 300 ग्राम गांजा मोटरसाईकिल से विक्री हेतु ले जाते समय 02 अभियुक्तों— 01.अजय चौहान उर्फ सिंटू 02.उमाशंकर वर्मा उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अजय चौहान उर्फ सिंटू पुत्र सत्यनारायण चौहान निवासी ग्राम पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
02. उमाशंकर वर्मा उर्फ पप्पू पुत्र श्री राम फल वर्मा निवासी वार्ड नंबर 7 सुभाष नगर थाना गौर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु030सं0—154 / 22, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा।
02. 01अदद मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 रमेश कुमार वर्मा मय ठीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2022

06 घण्टे के अन्दर वोडाफोन टॉवर से चोरी गया माल शतप्रतिशत बरामद,
01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त रमेश मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके उसके कब्जे से 01 अदद बैट्री, 10 मी0 केबिल तार एल्युमिनियम, 02 अदद माडूल, 01 अदद नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 07.06.2022 को देवरिया कला स्थित वोडाफोन टॉवर में चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में पंकज कुमार सिंह पुत्र स्व0 वंश बहादुर सिंह निवासी ग्राम अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

01. रमेश मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा नि0 रूपईडीहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0 114/22 धारा 379/411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—115/22, धारा 4/25 आर्स ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

01. 01 अदद बैट्री।
02. 10 मी0 केबिल तार एल्युमिनियम।
03. 02 अदद माडूल।
04. 01 अदद नाजायज चाकू।
05. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता:-

01. चन्द्रभूषण पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2022

आई०टी०आई० मनकापुर में चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल, कापर वायर व वायर कटर मशीन बरामदः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. शहनवाज, राधेश्याम केवट को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोबाइल, कापर वायर व वायर कटर मशीन बरामद कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07 / 08.06.2022 की रात्रि आई०टी०आई० मनकापुर में चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में मानव संसाधन आई०टी०आई० के उपमहाप्रबन्धक संजीव अरोड़ा द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. शहनवाज पुत्र आबिद अली निरो अरैल मोड़ दक्षिणी लोकपुर नैनी प्रयागराज।
02. राधेश्याम केवट पुत्र मिठाईलाल निरो लेवाइन कला औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0 114 / 22 धारा 457,380,411 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

01. कापर वायर।
02. वायर कटर।
03. 01 अदद मोबाइल।

गिरफ्तार कर्ता:-

01. उनिरो विरेन्द्र कुमार शुक्ला।

प्रेसनोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2022

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शिवकुमार पुत्र नंद किशोर निरो ग्राम शुक्लनपुरवा मौजा परसौना थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0300सं0—55 / 22, धारा 354,506,376 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता:—

उर्निरो साहेब कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2022

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादिनी राजदुलारी पल्ली बैजनाथ नि० रुद्रगढ़ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करवा दिया था। जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र राजेश्वर दत्त नि० रुद्रगढ़ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-१२८ / 22, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० व०उ०नि० अनिल कुमार मिश्रा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2022

ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना को 0 देहात पुलिस ने गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द, अपनों से मिलकर महिला व परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कानः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने “ऑपरेशन मुस्कान” के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा लड़के/लड़कियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना को 0 देहात पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 04.06.2022 को थाना को 0 देहात क्षेत्र के अन्तर्गत भरहापारा के रहने वाले मुजीब मोहम्मद द्वारा थाना को 0 देहात में सूचना दी गयी कि उनकी पत्नी नाराज होकर कही चली गयी है और अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। सूचना पर थाना को 0 देहात गुमशुदगी दर्ज कर महिला की शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी थीं। प्र०नि० को 0 देहात कमलाकान्त त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2022 को गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। महिला से मिलकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनों ने गोण्डा पुलिस को बहुत—बहुत धन्यवाद दिया। उक्त सराहनीय कार्य की आम जनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

बरामदकर्ता टीमः—

उ०नि० कृष्ण कुमार सिंह मय टीम।